Email/Speed Post/By Hand

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001
E mail – directorsudauk@gmail.com, दूरभाष – 0135–2749541, फैक्स. 0135.–2749542

पत्रांकः–3101/श0वि0नि0–विवधि–24/नियमावली/2018, देहरादूनः दिनांक :– 18 नवम्बर, 2020

विज्ञप्ति/सूचना

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–826/IV(1)2020–1(61)/15टी0सी0, दिनांक 09–11–2020 द्वारा नगर पालिका अधिनियिम–16 की धारा 300 एवं नगर निगम अधिनियिम– 1959 की धारा 540(2) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2020 का अनन्तिम आलेख्य तैयार किया गया है।

2– अतः शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2020 के अनन्तिम आलेख्य पर उक्त सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर **पालिका केन्द्रीयत सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों** से आपत्ति एवं सुझाव (यदि कोई हो) आमंत्रित किये जाते है। आपत्ति एवं सुझाव रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से अथवा निदेशालय की ई–मेल– info.udduk@gmail.com पर भी उपलब्ध करा सकते है। उक्त अनन्तिम नियमावली का आलेख्य निदेशालय की वेबसाईट– udd.uk.gov.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।
प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त का प्रकाशन प्रदेश में व्यापक प्रचार–प्रसार वाले 02 दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम स्पेस में प्रकाशन कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ पालिका केन्द्रीयत सेवा के कार्मिको को परिचालित करने का कष्ट करें।
4– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत्, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ पालिका केन्द्रीयत सेवा के कार्मिको को परिचालित करने का कष्ट करें।
5– पालिका केन्द्रीयत सेवा के समस्त नगर निगमों/पालिको/नगर पंचायतों में कार्यरत पालिका केन्द्रीयत सेवा के समस्त अधिकारी/कर्मचारी (द्वारा सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी)।
6– श्री चन्द्र प्रकाश रावत, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि नियमावली के आलेख्य को निदेशालय की वेबसाईट पर प्राथमिकता के आधार पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7– गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-1,

संख्या-826/ IV(1)/2020-1(61)/15टी0सी0

देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप / अधिसूचना

उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के संगत प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2020 का अनन्तिम आलेख्य तैयार किया गया है।

2. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 540(2) एवं नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 300 में नियम या विनियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ऐसे नियम तथा विनियम का पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने और सरकारी गजट में उनके प्रकाशित होने तक प्रभावित न होने के अधीन है।

3. उक्त प्राविधानान्तर्गत उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2020 के अनन्तिम आलेख्य की प्रति पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के समस्त कार्मिकों से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। कार्मिक अपनी आपत्तियां अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से अथवा निदेशालय की **official e-mail: info.udduk@gmail.com** में भी उपलब्ध करा सकते हैं।

4. समस्त पालिका केन्द्रीयित कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नियमावली के संबंध में अपनी आपत्तियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को निर्धारित समय के अंतर्गत उपलब्ध करायेंगे। अंतिम तिथि के उपरांत कोई भी आपत्ति किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- मुख्य निजी सचिव मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ।
2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3- अपर सचिव, कार्मिक / वित्त / न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, सूचना भवन लाडपुर रिंग रोड देहरादून।
5- नगर आयुक्त समस्त नगर निगम उत्तराखण्ड।
6- अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका / नगर पंचायत, द्वारा निदेशालय।
7- समस्त पालिका केन्द्रीयित कार्मिक द्वारा-निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
8- विभागीय आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल जोशी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-1
संख्याः /IV(1)/2020-01(61)/15T.C.
देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 113 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 300 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा नियमावली 2019 में अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– निकाय

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्थानीय नगर (केन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

भाग 3 प्रस्तर 5 (1) व (2) भर्ती के नियम का संशोधन

उत्तराखण्ड स्थानीय नगर निकाय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2019 में स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा , अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रस्तावित संशोधन
(क)	नगर आयुक्त नगर निगम श्रेणी–1 व 2 के पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत 50 प्रतिशत पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों को तैनात/नियुक्त किया जायेगा। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत नगर आयुक्त के 50	नगर आयुक्त नगर निगम श्रेणी–1 व 2 के पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत 50 प्रतिशत पदों पर आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों को तैनात/नियुक्त किया जायेगा। नगर निगम श्रेणी–3 के अंतर्गत नगर आयुक्त के 50 प्रतिशत पदों पर **केन्द्रीयित प्रशासी (प्रवर) सेवा** में कार्यरत् ऐसे स्थाई अपर नगर आयुक्त/संयुक्त निदेशक में से, जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

....